

न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द  
(पीठासीन अधिकारी, दिवांशु शर्मा, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या 12/2018 (वाद)  
दायर दिनांक -02/02/2018  
निर्णय दिनांक - 26/02/2020

अनवान

1. बालुराम पिता नाथुलाल जाति जाट निवासी आंजना तहसील रेलमगरा

वादी

बनाम

1. नाथु पिता दोला जाति जाट निवासी आंजना तहसील रेलमगरा
2. मोहन पिता दोला जाति जाट निवासी आंजना तहसील रेलमगरा
3. कैलाश पिता छगना जाति जाट निवासी आंजना तहसील रेलमगरा
4. बाली पिता छगना जाति जाट निवासी आंजना तहसील रेलमगरा
5. मोहनलाल पिता उदयराम जाति जाट निवासी आंजना तहसील रेलमगरा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमन्द

प्रतिवादी

वाद बाबत् विभाजन

: निर्णय :

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् विभाजन का प्रस्तुत किया कि ग्राम आंजना में वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 05 के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी नम्बर 1341 रकबा 08-09 बीघा स्थित है तथा वादग्रस्त भूमियों में वादी का हिस्सा निहित है। जिस पर तहसीलदार रेलमगरा द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया जिस अधिवक्ता पक्षकारान ने उपस्थित होकर सहमति प्रदान की गयी। अतः वादी का वाद बाबत् विभाजन का स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाना है:-


क्र.सं.	नम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा	लगान
1.	बालुराम पिता नाथुलाल जाट सा. देह खातेदार	1341/1	02-01	01-01
	योग:-	किता- 1	02-01	01-01
2.	नाथु मोहन पिता दोला कैलाश पिता छगना ना. बा.ब.विलायत माता बाली बेवा छगना 2/3	1341/2	02-01	01-01
	मोहनलाल पिता उदयराम 1/2 जाट सा. देह. खातेदार	1341 मीन	04-02	02-09
	योग:-	किता-02	06-03	03-10

W  
सहायक कलेक्टर  
(उप खण्ड अधिकारी)  
रेलमगरा

3.	नाथु मोहन पिता दोला कैलाश पिता छगना ना. बा.ब.विलायत माता बाली बेवा छगना 1/2 मोहनलाल पिता उदयराम बालुराम पिता नाथुलाल 1/2 जाट सा. देह. खातेदार	1341/3	00-05	0-04
	योग:-	किता-01	00-05	0-04

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रेकार्ड में पृथक-पृथक अंकन किया जावे तथा विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। इसी अनंरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 26/02/2020 को मेरे द्वारा लिखावाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

  
 (दिवांशु शर्मा)  
 सहायक कलक्टर  
 सहायक कलक्टर  
 (उप खण्ड अधिकारी)  
 (उप खण्ड अधिकारी)  
 रेलमंगरा  
 रेलमंगरा

मूल वाद में डिक्री ( आदेश 20 नियम 6 व 7 )  
 न्यायालय सहायक कलक्टर ( उपखण्ड अधिकारी ) रेलमगरा जिला राजसमन्द  
 पीठासीन अधिकारी :- दिव्याशु शर्मा आर०ए०एस०  
 राजस्व वाद संख्या :-12/2018  
 अनवान

वादी पक्ष :-

1. बालुराम पिता नाथुलाल जाति जाट निवासी आंजना तहसील रेलमगरा

बनाम

प्रतिवादीपक्ष :-

1. नाथु पिता दोला जाति जाट निवासी आंजना तहसील रेलमगरा
2. मोहन पिता दोला जाति जाट निवासी आंजना तहसील रेलमगरा
3. कैलाश पिता छगना जाति जाट निवासी आंजना तहसील रेलमगरा
4. बाली पिता छगना जाति जाट निवासी आंजना तहसील रेलमगरा
5. मोहनलाल पिता उदयराम जाति जाट निवासी आंजना तहसील रेलमगरा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमन्द

दावा :- वाद बाबत विभाजन

वादी की ओर से :- बी.एल.जाट, अधिवक्ता

प्रतिवादी की ओर से :- पी.आर.जाट, अधिवक्ता

में इस आशय में दिनांक 26/02/2020 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद बाबत विभाजन का स्वीकार किया जाकर ग्राम आंजना में वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 05 के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी नम्बर 1341 रकबा 08-09 बीघा स्थित है तथा वादग्रस्त भूमियों में वादी का हिस्सा निहित है। जिस पर तहसीलदार रेलमगरा द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया जिस अधिवक्ता पक्षकारान ने उपस्थित होकर सहमति प्रदान की गयी। अतः वादी का वाद बाबत विभाजन का स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाना है:-

क्र.सं.	नम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा	लगान
1.	बालुराम पिता नाथुलाल जाट सा. देह खातेदार	1341/1	02-01	01-01
	योग:-	किता- 1	02-01	01-01
2.	नाथु मोहन पिता दोला कैलाश पिता छगना ना. बा.ब.विलायत माता बाली बेवा छगना 2/3	1341/2	02-01	01-01
	मोहनलाल पिता उदयराम 1/2 जाट सा. देह. खातेदार	1341 मीन	04-02	02-09
	योग:-	किता-02	06-03	03-10

WZ  
 सहायक कलक्टर  
 (उप खण्ड अधिकारी)  
 रेलमगरा

3.	नाथु मोहन पिता दोला कैलाश पिता छगना ना. बा.ब.विलायत माता बाली बेवा छगना 1/2 मोहनलाल पिता उदयराम बालुराम पिता नाथुलाल 1/2 जाट सा. देह. खातेदार	1341/3	00-05	0-04
	योग:-	किता-01	00-05	0-04

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रेकार्ड में पृथक-पृथक अंकन किया जावें तथा विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

आज दिनांक 26/02/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।



W2  
(दिवांसु शर्मा)  
सहायक कलेक्टर  
सहायक कलेक्टर  
(उप खण्ड अधिकारी)  
रेलमगरा